



Neutral Citation No. - 2026:AHC:57663

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के तहत आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन संख्या - 2535 / 2026

मनीष और अन्य

.....अपीलार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी (गण)

अपीलार्थी (गण) के अधिवक्ता

:

आदित्य गुप्ता, हर्ष वर्धन गुप्ता

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता

:

शासकीय अधिवक्ता

न्याय कक्ष संख्या-72

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री आदित्य गुप्ता और राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री बीपी सिंह को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यह आवेदन मुकदमा अपराध संख्या 174/2025 में अग्रिम जमानत की मांग करते हुए प्रस्तुत किया गया है। यह मामला भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 191(2), 191(3), 115(2) और 140(3) के तहत पुलिस थाना बड़ौत, जिला बागपत में दर्ज है। इस आवेदन में यह प्रार्थना की गई है कि यदि आवेदक को गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए।
3. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि किसी भी अपीलार्थी को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है, और घायल जितेंद्र उर्फ जीता को लगी चोटें मामूली प्रकृति की पाई गई हैं। यह भी बताया गया है कि अपीलार्थीगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आगे यह भी बताया गया है कि अपीलार्थीगण को किसी गलत इरादे से सामान्य भूमिका दी गई है। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि किसी भी आरोपी व्यक्ति से कोई भी आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई है। यह भी बताया गया है कि अपीलार्थीगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी बताया गया है कि अपीलार्थी मुकदमे के दौरान सहयोग करने का वचन देते हैं और जांच संस्था या न्यायालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर वे उपस्थित होंगे। यह कहा गया है कि यदि अपीलार्थीगण को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे और जांच में सहयोग करेंगे तथा जमानत की सभी शर्तों का पालन करेंगे।
4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत के आवेदन का विरोध किया है।
5. किसी भी अपीलार्थी को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है और घायल जितेंद्र उर्फ जीता को लगी चोटें मामूली प्रकृति की पाई गई हैं।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



6. यह उल्लेख किया जा सकता है कि **सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एससीसी 694** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अग्रिम जमानत का निर्णय करते समय, न्यायालय को आरोप की प्रकृति और गंभीरता, आरोपी का पूर्ववृत्त, आरोपी के न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए और न्यायालय को आरोपी के खिलाफ उपलब्ध सभी सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए तथा आरोपी की सटीक भूमिका को भी ध्यान में रखना चाहिए।

7. इस मामले में, अग्रिम जमानत के संबंध में स्थापित कानूनी सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें, अपीलार्थीगण की भूमिका और मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का मामला बनता है।

8. अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

9. उपर्युक्त मामले में अपराध के लिए अभियोक्ताओं - **मनीष और शेखर उर्फ शिवंक** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उन्हें 50,000/- रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

(i) अपीलार्थी साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और वे निर्धारित तिथि पर निचली अदालत के समक्ष उपस्थित होंगे, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा उन्हें छूट न दी जाए;

(ii) अपीलार्थी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेंगे ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;

(iii) अपीलार्थी मुकदमे के दौरान सहयोग करेंगे और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे।

(iv) अपीलार्थी संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।

10. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, अभियोजन पक्ष अपीलार्थीगण को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने के लिए उचित आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)

17 मार्च, 2026

नीतू